

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 359/2022

श्री राजबीर सिंह (आरटीआई कार्यकर्ता) ग्रा०पो० बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राजस्थान),
पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ।

— —


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 28.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 359/2022 पर दिनांक 15.11.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/6255-56 दिनांक 15.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक आरटीआई/2022/776 दिनांक 25.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजबीर सिंह द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रार्थी को निश्चित समयावधि में कार्यालय के क्रमांक सूचना/2022/753 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा पत्रांक आरटीआई/2022/776 दिनांक 25.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री राजबीर सिंह द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रार्थी को निश्चित समयावधि में कार्यालय के क्रमांक सूचना/2022/753 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लक्ष्मण सिंह कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं